प्रदेश की प्रत्येक महिला को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेंगे- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को महिला प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया

जयपुर, 13 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षित और सशक्त महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव की वाहक हैं। महिलाओं के आगे बढ़ने से ही प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक महिला को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए

- **इस कार्यक्रम के दौरान महिला प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की सराहना की तथा स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, महिला सुरक्षा शिक्षा व स्वास्थ्य पर अपने विचार रखे।**

प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, जिससे इस आधी आबादी की सक्रिय भागीदारी से विकसित तथा उत्कृष्ट राजस्थान का निर्माण किया जा सकेगा।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में महिला प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से ही आत्मनिर्भर परिवार, समाज और आत्मनिर्भर राजस्थान का निर्माण होगा। इसीलिए राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रमुख केन्द्रबिंदु बनाया है। शर्मा ने आश्वस्त किया कि महिला प्रतिनिधियों के सुझावों को बजट 2026-27 में यथासंभव शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे।

शर्मा ने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माँ वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को प्रदेशभर में निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस दौरान महिला प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री के निर्णयों एवं प्रयासों की सराहना की। महिलाओं ने स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित, विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव दिए।

बैठक में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास भवानी सिंह देथा सहित, वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को महिला प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी मौजूद थे।

दिल्ली में जिम तथा व्यापारी के घर पर फायरिंग

नयी दिल्ली, 13 जनवरी। दो जगह पूर्वी दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर और पश्चिमी विहार में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से दिल्ली दहल उठी है। दोनों की जगह कई-कई राउंड फायरिंग की गई है। पश्चिमी विनोद नगर में व्यवसायी के घर के बाहर

- **लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दोनों जगह फायरिंग की जिम्मेदारी ली।**

और पश्चिमी विहार में स्थित एक जिम पर फायरिंग हुई है। शुरूआती जांच में पता लगा कि दोनों ही जगह फिरौती (वसूली) के लिए फायरिंग की गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दोनों जगह हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। संबंधित थाना पुलिस के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल व अपराध शाखा की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। शुरुआती जांच में पता लगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से फायरिंग करवाई गई है। इससे पुलिस महकमे में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।

20 जनवरी को नितिन नबीन भाजपा ने नए अध्यक्ष बन सकते हैं

सूत्रों के अनुसार वे 19 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे

नयी दिल्ली, 13 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अगले हफ्ते पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बिहार से पांच बार के विधायक नितिन नवीन को पिछले साल 14 दिसंबर को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सूत्रों के मुताबिक,नितिन नबीन 19 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे और 20 जनवरी को उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि किसी अन्य नेता के मैदान में उतरने की संभावना बेहद कम है। भाजपा के सूत्र ने बताया, अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन 19 जनवरी को दाखिल किया जाएगा। सूत्रों के

- **पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस अवसर पर भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों, पदाधिकारियों को नई दिल्ली में मौजूद रहने की हिदायत दी गई है।**

अनुसार, यदि आवश्यकता पड़ी तो जेपी नड्डा के स्थान पर नए भाजपा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पार्टी मुख्यालय में आयोजित की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को इस मौके पर दिल्ली में मौजूद रहने को कहा गया है। पार्टी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। बताया गया है कि अध्यक्ष पद के लिए तीन सेट में नामांकन दाखिल किए जाएंगे। एक सेट पर 20 से अधिक निर्वाचित प्रदेश अध्यक्षों के हस्ताक्षर होंगे।

दूसरे सेट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा के हस्ताक्षर होंगे। तीसरा सेट भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का होगा। यदि केवल एक ही नामांकन आता है, तो उसी दिन अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच, भाजपा अध्यक्ष चुनाव की तैयारियों को लेकर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक भी हुई। बैठक में नितिन नबीन के साथ बी एल संतोष, सुनील बंसल, अरुण सिंह और तरुण चुघ मौजूद थे।

'विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार है'

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह अहम् फैसला दिया कि पुत्र की विधवा आश्रित मानी जाएगी

नयी दिल्ली, 13 जनवरी। जस्टिस पंकज मिथल ने फैसले को आसान शब्दों में समझाते हुए कहा, मृतक हिंदू के सभी वारिसों की यह जिम्मेदारी है कि वे मृतक की संपत्ति से उसके आश्रितों का भरण-पोषण करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया, मृतक हिंदू के पुत्र की कोई भी विधवा, अधिनियम की धारा 21(7) के तहत आश्रित मानी जाएगी और धारा 22 के तहत भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार रखती है।

यह मामला मृतक महेन्द्र प्रसाद की संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद के कारण सामने आया। महेन्द्र प्रसाद का दिसंबर 2021 में निधन हो गया था। उनके पुत्रों में से एक रंजीत शर्मा का भी मार्च 2023 में निधन हो गया। रंजीत

- **यह मामला मृतक महेन्द्र प्रसाद की सम्पत्ति से जुड़ा था। महेन्द्र प्रसाद का निधन 2021 में हुई था तथा उनके पुत्र रंजीत का निधन 2023 में हुआ था। यह मुकदमा रंजीत की विधवा गीता शर्मा ने दायर किया था।**

की मृत्यु के बाद उनकी विधवा गीता शर्मा ने अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण के लिए परिवार न्यायालय में याचिका दायर की।

परिवार न्यायालय ने शुरू में उनका दावा खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह ससुर की मृत्यु के समय विधवा नहीं थीं और इसलिए आश्रित नहीं मानी जा सकतीं। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह फैसला पलट दिया, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला गैरकानूनी नहीं था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि मृतक के पुत्र की विधवा की याचिका सुनवाई योग्य है और परिवार न्यायालय को इसे कानून के अनुसार जांचना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि पुत्र या अन्य कानूनी वारिसों की जिम्मेदारी है कि वे मृतक की संपत्ति से सभी आश्रितों का भरण-पोषण करें। इसमें वे सभी लोग शामिल हैं, जिनका पालन-पोषण करना मृतक का कानूनी और नैतिक कर्तव्य था।

कश्मीर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारियों का कहना है कि यह अभ्यास हालिया आतंकवाद-रोधी कार्रवहियों के बाद किया जा रहा है और इसका मकसद कट्टरपंथ को रोकना तथा धार्मिक स्थलों के दुरुपयोग को रोकना है। वहीं राजनीतिक नेताओं का तर्क है कि यह चुनिंदा तौर पर निशाना बनाने और धार्मिक मामलों में दखल देने जैसा है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने लोहड़ी की बधाई दी

नयी दिल्ली, 13 जनवरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने फसलों के उत्सव लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के मौकों पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये त्योहार भारत की समृद्ध कृषि विरासत और राष्ट्रीय एकता की भावना के प्रतीक हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक संदेश में कहा, "मैं लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के शुभ अवसर पर भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई देती हूं।"

खड़गे -राहुल ने लोहड़ी की बधाई दी

नयी दिल्ली, 13 जनवरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोहड़ी के अवसर पर देशवासियों को मंगलवार को बधाई दी और सबके जीवन में खुशहाली की कामना की। खरगे ने अपने बधाई संदेश में कहा, "लोहड़ी के शुभ अवसर पर सभी को बहुत- बहुत बधाई। आशा है हर्ष और उल्लास का यह त्योहार आपके जीवन में अपार ख़ुशियाँ व समृद्धि लेकर आए।"गांधी ने कहा, "आप सभी को लोहड़ी की लख-लख बधाईयां। यह पावन त्यौहार सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां, सुख और शांति लेकर आए।"

बंगाल में एसआईआर के दौरान हिंसा के मामलों की सुनवाई 19 जनवरी को होगी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक सभी पक्षों के जवाब मिल जाएंगे, उसके बाद एक साथ सुनवाई की जाएगी

नयी दिल्ली, 13 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान कथित हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई संबंधित पक्षों से जवाब मिलने के बाद 19 जनवरी को एक साथ की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब एक वकील ने अदालत के समक्ष इस मुद्दे को उठाया तथा एक प्रतिवाद हलफनामे का हवाला दिया जिसमें कथित तौर पर राज्य में हिंसा की कम से कम छह घटनाओं को स्वीकार किया गया है। वकील ने अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई उसी दिन दोपहर 2 बजे बिहार से संबंधित एक समान मामले के साथ की जाए। मुख्य न्यायाधीश ने हालांकि यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया और

- **मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बैंच ने यह टिप्पणी तब की जब एक वकील ने अदालत में इस मुद्दे को उठाया और बिहार से संबंधित मामले के साथ इसकी सुनवाई करने का आग्रह किया।**

कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल के पहले उल्लेखित संबंधित याचिका पर पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है और केन्द्र तथा अन्य पक्षों को शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है।

न्यूयॉर्क में नर्सों की हड़ताल

न्यूयॉर्क, 13 जनवरी। न्यूयॉर्क शहर के कई बड़े अस्पतालों में नए अनुबंध पर बातचीत असफल हो जाने से लगभग 15,000 नर्सों की हड़ताल सोमवार को पहले दिन में प्रवेश कर गई। कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम न्यूज (सीबीएस) ने यह जानकारी दी। हड़ताल सोमवार को सुबह पांच निजी अस्पतालों में शुरू हुई, जिसमें माउंट सिनाई, माउंट सिनाई मॉर्निंगसाइड, माउंट सिनाई वेस्ट और मैनहट्टन में न्यूयॉर्क-प्रेस्बिटेरियन सुविधाएं शामिल हैं।

'कुत्तों को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के लिए गोद लेने के "नैशनल एडॉप्शन मिशन" की मांग की थी। उसने कहा था कि प्रोत्साहन के रूप में नसबंदी और टीकाकरण जैसे उपाय हो सकते हैं।

इस पर जस्टिस मेहता ने कहा, "क्या आप सच में ऐसा सोच रहे हैं? अभी-अभी एक युवा वकील ने हमें सड़कों पर रहने वाले अनाथ बच्चों के आंकड़े दिखाए हैं। शायद कुछ वकील उन बच्चों को गोद लेने पर भी बहस कर सकते हैं। साल 2011 से, जब से मैं जज बना हूं, ये सबसे लंबी दलीलें हैं जो मैंने सुनी हैं, और अब तक किसी ने इंसानों के लिए इतनी लंबी बहस नहीं की है।

चीन की कम्युनिस्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से आया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो यात्रा पर थे, बैठक में उपस्थित नहीं थे।

कांग्रेस ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि जब "ऑपरेशन सिंदूर" जारी है और, पाकिस्तान के साथ गतिरोध के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, इन हालात में भाजपा का सीपीसी से संपर्क करना गलत है। चीन ने जम्मू और कश्मीर के शक्साम घाटी सहित, भारतीय क्षेत्र पर भी अपना दावा किया है।

कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थिति की विडंबना को उजागर किया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री अपने देशवासियों से चीन के पटाखे न खरीदने की अपील करते हैं, लेकिन खुद एक चीनी स्मार्ट मीटर, डोंगफांग, खरीदने जाते हैं। चीन उर्वरक और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की बिक्री रोकता है, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं करती। प्रधानमंत्री को यह फिक्र नहीं है कि गलवान में 20 भारतीय सैनिक मारे गए।" खेड़ा ने कहा, "विडंबना यह है कि चीन को "लाल आंख" दिखाने के बजाय, भाजपा उसके लिए "लाल कालीन" बिछा रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि यह कानून "असल में एक निश्चित स्तर से ऊपर के सरकारी कर्मचारियों को ही सुरक्षा देता है।"

उन्होंने कहा, "ऊंचे स्तर के अधिकारी ही सिफारिश करते हैं या फैसले लेते हैं... एक खास वर्ग है, जिसके लिए ही पूर्व मंजूरी जरूरी कर दी गई है... यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि इसका कानून के उद्देश्य से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा यह वर्गीकरण की स्थिति पैदा करता है।"

उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील का भी जिक्र करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच की मंजूरी के बिना, सच हमेशा अधर में लटका रहेगा।

उन्होंने पूछा, "एसजी मेहता ने कहा है कि आज के दौर में सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल है। तो क्या ऐसी सभी शिकायतों पर आगे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?"

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "अगर जांच के बाद फैसले लिए जाते हैं, तो इससे किसी भी तरह का नीति अवरोध नहीं होगा।"

चुनाव आयुक्त को इम्युनिटी पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिरक्षा पारदर्शिता को कमज़ोर करती है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने वाली संवैधानिक संस्था पर जनता का भरोसा घटाती है।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लगभग सभी गैर-भाजपा दलों ने ईसीआई पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया है, खासकर मतदाता सूची के "स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न" (एसआईआर) और कई राज्यों में मतदाताओं के नाम हटाने की नई रूपरेखा को लेकर। विपक्षी नेताओं का दावा है कि इन प्रक्रियाओं का असर कमज़ोर और अल्पसंख्यक मतदाताओं पर ज्यादा पड़ता है, हालांकि ईसीआई ने इन आरोपों को बार-बार खारिज किया है।

तनाव तब और बढ़ गया, जब दिल्ली स्थित ईसीआई मुख्यालय में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों और चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच टकराव की नौबत आ गई, जिससे आयोग और विपक्षी दलों के बीच अविश्वास की गहरी खाई साफ नज़र आई।

पक्षपात के ऐसे ही आरोप हाल ही में संपन्न बिहार चुनावों के बाद लगे थे, जहां विपक्षी दलों ने आदर्श आचार संहिता को चयनात्मक रूप से लागू करने और प्रशासनिक दखल का आरोप लगाया।

यह प्रतिरक्षा कानून अब चुनावी सुधारों पर चल रही व्यापक बहस का अहम् मुद्दा बन गया है। आलोचकों का कहना है कि चुनाव आयुक्तों के चयन वाली समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर, उसे पूरी तरह कार्यपालिका-प्रधान समिति बनाना पहले ही संस्थागत (चैक्स एंड बैलेंस) नियंत्रण एवं संतुलन को कमज़ोर कर चुका है।

आलोचकों का कहना है, इसके बाद आजीवन प्रतिरक्षा देने का कदम इस धारणा को और मजबूत करता है कि सरकार आयोग को किसी भी जांच-पड़ताल या संवीक्षा (स्क्रूटिनी) से बचाना चाहती है।

एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने कहा, इससे जाने वाला संदेश चिंताजनक है। ऐसा लगता है, मानो लगातार सत्तारूढ़ दल के पक्ष में फैसले देने के बदले में, सरकार चुनाव आयोग को कानूनी सुरक्षा दे रही हो।

लेकिन सरकारी सूत्र इन आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं कि यह प्रतिरक्षा संवैधानिक पदाधिकारियों को निरर्थक मुकदमों और पद छोड़ने के बाद की परेशानी से बचाने के लिए है। उनका कहना है कि यह कानून अन्य उच्च संवैधानिक पदों को मिलने वाली सुरक्षा के अनुरूप है और इससे आयोग की स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ता।

अब सुप्रीम कोर्ट से यह जांच करने की उम्मीद है कि इतनी व्यापक प्रतिरक्षा संवैधानिक जवाबदेही और कानून के सामने समानता के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत की टिप्पणियों का कार्यपालिका और स्वतंत्र संस्थाओं के बीच के शक्ति संतुलन पर दूरगामी असर पड़ सकता है।

जैसे-जैसे यह मुद्दा अदालत और संसद से बाहर निकलकर सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन रहा है, सरकार पर अपने रुख को सही ठहराने का दबाव बढ़ता जा रहा है। कई अहम राज्यों के चुनाव सामने हैं, ऐसे में इस कानूनी चुनौती का नतीजा न केवल चुनाव आयोग के भविष्य, बल्कि भारत की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर सकता है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908